

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की
नियुक्ति) विनियमन, 2017¹**

[01-06-2022 तक संशोधित]

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी006.- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 194 के साथ पठित धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमनों का नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) “बोर्ड” से संहिता की धारा 188(1) के तहत गठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) “कार्यकारी निदेशक” से बोर्ड के इस तरह नियुक्त वह अधिकारी जिसके पास बोर्ड के मानव संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और बोर्ड का वह अधिकारी भी,

¹ अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी006, दिनांकित 30-01-2017, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

जो कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमनों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इस संहिता में उनके हैं।

3. अनुसंधान सहायक और सलाहकार.

(1) बोर्ड नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की संख्या समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(2) बोर्ड ऐसी संख्या में अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

4. अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के कार्य.

बोर्ड द्वारा नियुक्त अनुसंधान सहायक और सलाहकार वे कार्य करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें दिया जाएगा।

5. अर्हताएं, अनुभव और पारिश्रमिक.

(1) विभिन्न संकायों के लिए अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों हेतु अर्हताएं अनुसूची-I पर दिए गए अनुसार होगी:

परंतु कि बोर्ड अन्य किसी संकाय से अनुसंधान सहायक और सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है जो कि संहिता के तहत उसके कार्यनिष्पादन में बोर्ड की सहायता हेतु आवश्यक प्रतीत हों।

(2) संबंधित संकाय में अनुभव के आधार पर, कोई व्यक्ति अनुसूची-II में दिए अनुसार पांच स्तरों में से किसी एक स्तर में अनुसंधान सहायक या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(3) विभिन्न स्तरों के अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों को अनुसूची-II के अनुसरण में एक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

²[परन्तु अध्यक्ष अनुसूची II में दिए गए समेकित पारिश्रमिक को, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, संशोधित कर सकेगा।]

(4) कोई अनुसंधान सहायक या सलाहकार को 12 दिन के वार्षिक अवकाश के अतिरिक्त किसी भी रूप में किसी अन्य पारितोषिक या सुविधा का पात्र नहीं होगा।

6. कार्य निष्पादन का मूल्यांकन.

(1) प्रत्येक अनुसंधान सहायक या सलाहकार के कार्य निष्पादन की समीक्षा सौंपे गए कार्यों और उसके द्वारा दिए गए परिणामों के अनुसरण में प्रत्येक 6 माह से की जाएगी।

(2) यदि कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं है तो अनुसंधान सहायक या सलाहकार, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति को आगे से समाप्त कर दिया जाएगा।

7. अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों का चयन.

(1) कार्यकारी निदेशकों बोर्ड की वेबसाइट पर नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की संकाय-वार और स्तर-वार संख्या अपेक्षित अर्हता और अनुभव के विवरण तथा देय पारिश्रमिक सहित प्रकाशित करेगा तथा एक निर्धारित तारीख तक प्रत्येक संकाय और स्तर के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा:

परन्तु कि कार्यकारी निदेशक योग्य सार्वजनिक सूचना द्वारा भी अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के प्रत्येक संकाय तथा स्तर के आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

² अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.083 दिनांकित 01-06-2022 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) उप-विनियमन (1) के तहत आवेदन की पावती की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद कार्यकार निदेशक इन विनियमनों के अनुसरण में आवेदनों की जांच करेगा और साक्षात्कार हेतु प्रत्येक संकाय और स्तर के पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा।

(3) यदि उप-विनियमन (2) के तहत तैयार की गई पात्र उम्मीदवारों की किसी सूची में उम्मीदवारों की संख्या उस संकाय और स्तर में नियुक्त किए जाने वाले अनुसंधान सहायकों या सलाहकारों की संख्या के चार गुणा से अधिक है तो अधिकारियों की एक समिति अर्हता के उच्चतर मानकों पर आधारित उम्मीदवारों की एक लघु सूची, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो, साक्षात्कार के लिए तैयार करेंगे।

(4) प्रत्येक संकाय और अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों के चयन हेतु, बोर्ड एक चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

क) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य;

ख) कार्यकारी निदेशक या यदि कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त है तो बोर्ड का एक वरिष्ठ अधिकारी और

ग) एक बाहरी विशेषज्ञ

(5) उप विनियमन (4) में उल्लिखित चयन समिति उप विनियमन (2) के तहत तैयार की गई पात्र उम्मीदवारों की सूची में या उपविनियमन (3) के तहत तैयार की गई उम्मीदवारों की लघु सूची में उल्लिखित उम्मीदवारों, जैसा भी मामला हो, का साक्षात्कार लेगी।

(6) बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों के पैनल को अनुमोदित करने पर कार्यकारी निदेशक प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव पत्र लिखित में भेजेगा जिसमें नियुक्ति के प्रस्ताव को 10 दिनों के भीतर स्वीकार करने का समय दिया जाएगा।

(7) चयनित उम्मीदवारों से स्वीकृति की पावती के बाद उपविनियमन (7) के अनुसार कार्यकारी निदेशक प्रत्येक उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के लिए तीस दिनों का समय देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा:

परंतु कि कार्यकारी निदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का समय इस संतुष्टि के साथ बढ़ाया जा सकता है कि समय बढ़ाने की मांग उम्मीदवार के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हैं।

8. नियुक्ति की निबंधन और शर्तें

(1) ³[चयनित उम्मीदवार को, साधारणतया, यथास्थिति, अनुसंधान सहायक या सलाहकार के रूप में कम से कम एक वर्ष और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर नियोजित किया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष, ऐसे नियोजन की अवधि को अधिकतम कुल पांच वर्षों तक, एक बार में एक वर्ष के लिए विस्तारित कर सकेगा ।]

(2) नियुक्त किए गए किसी अनुसंधान सहायक या सलाहकार को अन्य पक्ष द्वारा एक माह की सूचना देते हुए या सूचना के साथ एक माह के वेतन देते हुए पद छोड़ने को कहा जा सकता है।

(3) बोर्ड में नियुक्ति के समय चयनित उम्मीदवार बोर्ड की ओर से कार्य कर रहे कार्यकारी निदेशक के साथ एक संविदा करेगा जो गोपनीयता सहित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के ब्यौरे से संबंधित होगी।

(4) किसी विशेष मामले में नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन किया जा सकता है, यदि बोर्ड को यह अनिवार्य प्रतीत होता है।

(5) प्रतिकूल प्रभाव रहित और बोर्ड की उपलब्ध कानून उपायों के अतिरिक्त किसी भी अनुसंधान सहायक या सलाहकार द्वारा या उसकी ओर से उप-विनिमय (2) के तहत किए गए समझौते को तोड़ा जाता है तो वह संविदा के तहत की गई नियुक्ति को समाप्त करने का एक पर्याप्त कारण समझा जाएगा और बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को भविष्य में नियुक्त किए जाने से वंचित किया जा सकता है।

³ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.083 दिनांकित 01-06-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

9. शिथिलता का अधिकार

बोर्ड संहिता के तहत अपनी कार्यप्रणाली को करने के लिए यदि आवश्यक प्रतीत होता है तो इनमें से विनियमनों में इनका कारण बताते हुए शिथिलता दे सकता है।

⁴अनुसूची-1 (विनियमन 5 देखें)

अनुसंधान सहायक/सलाहकार का अध्ययन-विषय	अर्हताएं	
	आवश्यक	वांछनीय
(1)	(2)	(3)
क. अर्थशास्त्र/लोक नीति	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र या लोक नीति में स्नातकोत्तर डिग्री ।	(क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या उससे सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री; (ग) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र ।
ख. विधि	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएल.बी. या समतुल्य, और (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) में अधिवक्ता के रूप में	(क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि या उससे सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में एलएल.एम./डॉक्टरेट डिग्री; (ग) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र ।

⁴ अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.041 दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

	नामांकित होने के लिए अर्हित ।	
ग. कारबार प्रबंधन	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कारबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/मास्टर डिग्री/भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य/भारतीय लागत अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य/भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य</p>	<p>(क) आवश्यक स्तंभ में उल्लिखित अर्हताओं में से एक से अधिक अर्हता;</p> <p>(ख) संगत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन;</p> <p>(ग) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से विधि/प्रबंधन/लेखा/वित्त /सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री;</p> <p>(घ) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र ।</p>
घ. दिवाला	<p>(i) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 5(ग) के अधीन यथापेक्षित अर्हताएं और अनुभव; और</p> <p>(ii) सीमित दिवाला परीक्षा में उत्तीर्ण ।</p>	<p>(क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन;</p> <p>(ख) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र;</p> <p>(ग) दिवाला व्यावसायिक के रूप में अनुभव ।</p>
ङ. मूल्यांकन	<p>(i) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 4 के अधीन यथापेक्षित अर्हता और अनुभव; और</p> <p>(ii) सुसंगत आस्ति वर्ग (भूमि और भवन/संयंत्र और मशीनरी/ प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां) की मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण।</p>	<p>(क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन;</p> <p>(ख) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र;</p> <p>(ग) सुसंगत आस्ति वर्ग के रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में अनुभव ।</p>

⁵[अनुसूची-II]
(विनियम 5 देखिए)

स्तर	सुसंगत शाखा में (नियोजन/व्यवसाय/अनुसंधान का) अनुभव (वर्ष)	समेकित मासिक पारिश्रमिक + 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
स्तर I (अनुसंधान सहायक)	तीन वर्ष तक	60,000 रुपए
स्तर II (अनुसंधान सहायक)	न्यूनतम तीन वर्ष	80,000 रुपए
स्तर III (अनुसंधान सहायक)	न्यूनतम पांच वर्ष	1,05,000 रुपए
स्तर IV (सलाहकार)	न्यूनतम दस वर्ष	1,30,000 रुपए
स्तर V (सलाहकार)	न्यूनतम पन्द्रह वर्ष	1,55,000 रुपए]

(डा. एम.एस. साहू)

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

⁵ अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.083 दिनांकित 01-06-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।